

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पकरण संख्या - 72/2023

दिनांक 28/4/20223

बाबुलाल पिता प्यारचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।  
.....प्रार्थी

## बनाम

1. कंवरलाल पिता मांगीलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. रामलाल पिता फुलचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. शिवलाल पिता चान्दमल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. छीतर पिता देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयाँगांव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. शम्भुलाल पिता जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयाँगांव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा  
.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 25/5/2023

प्रार्थना पत्र मै बाबुलाल पिता प्यारचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि कि मौजा ग्राम नयागाँव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 296 पर अंकित आराजी नम्बर 1022 ,1039 व 29/2 कुल किता 03 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम नयागाँव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 296 पर अंकित आराजी नम्बर 1022 ,1039 व 29/2 कुल किता 03 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 72/2023

दायर दिनांक :- 28/4/2023

प्रेषिति :-

फैसल दिनांक: 25/5/2023

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 72/2023 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

बाबुलाल पिता प्यारचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील  
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०। .....प्रार्थी

बनाम

1. कंवरलाल पिता मांगीलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
2. रामलाल पिता फुलचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
3. शिवलाल पिता चान्दमल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
4. छीतर पिता देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयाँगांव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. शम्भुलाल पिता जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयाँगांव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम नयागाँव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 296 पर अंकित आराजी नम्बर 1022 ,1039 व 29/2 कुल किता 03 रकबा 0.3156 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया  
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा